



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11729/2017

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थी |
|--|------|--|
| निर्मल कुमार युनिट न. 90, ब्लोक के. नारायण विहार, असरपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्टार राज. पैरा मेडिकल काउंसिल जयपुर |

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री इन्द्रजीत चौधरी, अधिवक्ता, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 9-10-16 से रजिस्टार, राजस्थान पैरा मेडिकल कॉन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की मान्यता पूर्व विभाग द्वारा निरीक्षण दल का गठन करवाया गया था उक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में चार बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 24-1-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि पत्र दिनांक 27-10-16 के द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से संसूचित कर दिया गया था तथा प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में पत्र दिनांक 11-12-17 से बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 11-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में प्रेषित बिन्दु संख्या 3 की सूचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना का प्रेषण किया जा चुका है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त